न्यायालय द्वारा जॉच किया जाना उचित होगा ।

आदेश

आवेदक देवेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र धारा 156(3)दं0प्र0सं0 परिवाद के रूप में दर्ज हो। पत्रावली परिवादी के बयान अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 हेतु दिनांक 07.09.2019 को प्रस्तुत हो।

(हरिश्चन्द्र)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष–3, बरेली

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0–3, बरेली।
प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र सं0 230/19
श्रीमती जैतून
बनाम
नाजिम आदि

धारा :– 156 (3)दं0प्र0सं0
थाना मीरगंज, बरेली।

<u>दिनांक– 01.08.2019</u>

आवेदिका श्रीमती जैतून द्वारा प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3)सी0आर0 पी0सी0 विपक्षी नाजिम आदि के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना कराये जाने की याचना हेतु प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में प्रार्थनापत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थिनी के मोहल्ले में रहने वाला विपक्षी सं0–1 नाजिम कपड़े बेचने का कार्य करता है। प्रार्थिनी ने कुछ समय पहले अपने परिवार के लिए 4000/–रूपये का कपड़ा लिया और प्रार्थिनी ने 2000/–रूपये नकद देकर 2000/–रूपये उधार कर दिये थे। दिनॉक 20.05.2019 को समय लगभग 01.30 बजे दोपहर विपक्षी सं0–1 व विपक्षी सं0 2 प्रार्थिनी के घर आयी उस समय प्रार्थिनी के पति मुन्ने घर पर नहीं थे, गाड़ी चलाने गये थे। प्रार्थिनी व उसकी पुत्री सिफाली घर में अकेली थी और विपक्षी सं0–1 नाजिम की पत्नी विपक्षी सं0–2 निशा बोली कि कपड़े के उधार के 2000/–रूपये दे दो। प्रार्थिनी ने असमर्थता जताई और कहा कि ईद के बाद पैसे ले लेना या मेरा पति बुकिंग में गाड़ी ले गये हैं कास आ जायेगें , कल ले लेना इतनी सुनकर विपक्षी सं0–2 प्रार्थिनी को घर में ही गाली गलौज करने लगे। प्रार्थिनी व उसकी पुत्री द्वारा विरोध करने पर धमकी देने लगी कि मुझे आज ही पैसे चाहिए और अमादा फसाद हो गये और कहा कि मैं अभी आती हूँ। आधे घण्टे बाद विपक्षीगण 1 लगायत 4 डण्डे लेकर जबरदस्ती घर में घुस आये और विपक्षी सं0–4 मोहम्मद अली के हाथ में नाजायज तमन्चा था आते ही सभी ने डन्डों व लात घूसों से मारा पीटा। प्रार्थिनी की पुत्री बचाने आयी तो नाजिम ने उसको भी मारा पीटा और उसके साथ छेड़खानी करते हुये उसके कपड़े फाड़ दिये तथा विपक्षी सं0–4 मोहम्मद अली ने जान से मारने की नीयत से प्रार्थिनी के ऊपर फायर कर दिया जो कि मिस हो गया, नही तो प्रार्थिनी जान से मारी जाती। विपक्षी सं0–4 मोहम्मद अली ने प्रार्थिनी की कौलिया भर ली और विपक्षी सं0–2 निशा व उसकी ननद विपक्षी सं0–3 परवीन ने प्रार्थिनी दोनों कानों के सोने के कुन्डल बजनी एक तोला कानों से खींच लिये। शोर शराबा होने पर मोहल्ले के लोग आ गये, जिनके ललकारने पर यह धमकी देते हुये चले गये कि कोई कानूनी कार्यवाही की तो तुझे व तेरे पति व बच्चों को जान से मार देंगें। प्रार्थिनी ने उक्त घटना की सूचना स्थानीय थाना एंव पुलिस के अफसरों से की लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुयी।

इस सम्बन्ध में सम्बन्धित थाना मीरगंज, बरेली से आख्या आहुत की गई, जिसके अनुसार थाने पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

सुना पत्रावली का अवलोकन किया।